126

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1059-चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-06-08 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 268/अपील/1998-99

.....

बृजवासी प्रसाद तनय श्री जगतदेव प्रसाद पटेल
निवासी- साकिन लोहदवार ----------आवेदक

विरूद्ध

1- नर्मदा प्रसाद तनय जगतदेव
2- कुबेर प्रसाद तनय जगतदेव प्रसाद पटेल
निवासीगण- ग्राम लोहदवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान,
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------अनावेदकगण

.....

श्री आई.पी. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/4/2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-06-08 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बैकुण्डपुर जिला- रीवा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 01 नर्मदा प्रसाद के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर, जिला-रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 16-04-99 से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष आवेदक दवारा अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 11-06-08 को सारहीन होने से

निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी रामभरोसा थे तथा उनके दो पुत्र रामसुन्दर व रामदुलारे थे। रामदुलारे फौत हो चुके है। राम सुन्दर की पत्नी भुगतनिया ने अपनी समस्त सम्पत्ति रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 01-12-72 को अनावेदक क्रमांक 01 नर्मदा प्रसाद के पक्ष में निष्पादित की । वसीयत को आवेदक द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई । जहॉ तक मृतका भुगतनिया द्वारा दिनांक 08-10-95 को निष्पादित वसीयत का प्रश्न है, आवेदक द्वारा उक्त वसीयत को विचारण न्यायालय में सिद्ध नहीं किया गया, और न ही दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में सिद्ध किया गया है । विचारण न्यायायल द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया। विधिवत इश्तहार का प्रकाशन भी किया गया है, जिसमें किसी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपत्ति नहीं की गई है। आवेदक की ओर से दिनांक 08-10-96 को वसीयत में पूर्व की वसीयत को निरस्त करने के संबंध में लेख नहीं किया । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण नियमों का पालन करते हुये जो आदेश पारित किया है, उसमें कोई त्रुटी प्रकट नहीं होती । नायब तहसीलदार के वैधानिक व उचित आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा की गई है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप का आधार इस प्रकरण में नहीं है।

6/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,